

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 273/2025

Mahesh Chand Agarwal S/o Shri Radhey Shyam Agarwal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. A.K. Gupta Sr. Adv. With Mr. SPS Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Tanwar Mr. J.P. Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28/02/2025

सुना गया।

अयाची/परिवादी की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित हैं, वकालतनामा पेश होने पर उनका नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित किया जावे।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा याची के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक में पेश किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण नरेन साहनी भगत व मनोज गिडवानी के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2017 को प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया, तत्पश्चात् परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.11.2017 को नाराजगी याचिका पेश की गई, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2025 को याची/अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया है। याची के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस दिन चालान पेश किया, उस दिन नाराजगी याचिका पेश नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2017 को ही प्रसंज्ञान आदेश पारित कर दिया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित पुनः

प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 11.02.2025 विधि के अनुरूप नहीं है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.02.2025 की क्रियान्विति स्थगित की जावे।

योग्य लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व अन्य सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.2025 की क्रियान्विति पर आगामी नियत तिथि तक रोक लगायी जाती है।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J